



बीमा भारती
माननीय मंत्री



संपर्क

बीमा भारती, माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग: दूरभाष: (0612)-2230304.

श्री बी. प्रधान, भा.प्र.से., प्रधान सचिव - दूरभाष: (0612)-2230063. फ़ैक्स: (0612)-2230064.

श्री मनोज कुमार, उप सचिव, बि.प्र.से. - दूरभाष: (0612)-2230064 फ़ैक्स: (0612)-2230064.

श्री दिनेश लाल, अवर-सचिव, बि.स.से. - दूरभाष: (0612)-2230064. फ़ैक्स: (0612)-2230064.

श्री शंभुनाथ उपाध्याय, प्रशाखा पदाधिकारी - सहायक लोक सूचना पदाधिकारी - दूरभाष: (0612)-2230064. फ़ैक्स: (0612)-2230064.

ई-मेल

.....
secy-bcebc-bih@nic.in

परिचय

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया है।

विभाग के विषय

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या-मं.मं.-01/आर-02/2007-602 दिनांक 20-03-2007 के द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विषयों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है -

1. अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वृत्तिका प्रदान करना.
2. अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पुस्तकें एवं उपसाधनों के लिए अनुदान.
3. अति पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करना.
4. अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना एवं उनका प्रबंधन करना.
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिए सहकारी समितियों का गठन.
6. अति पिछड़ा वर्ग के फायदे के लिए काम करने वाली शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान.
7. पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वृत्तिका प्रदान करना.
8. पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पुस्तकें एवं उपसाधनों के लिए अनुदान.
9. पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करना.
10. पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना एवं उनका प्रबंधन करना.
11. पिछड़ा वर्ग के लिए सहकारी समितियों का गठन.
12. पिछड़ा वर्ग के फायदे के लिए काम करने वाली शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान.

13. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम.
14. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष गृह-निर्माण योजनाएँ.